न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 536/2025

महिपाल सिहं ढाका, डी—7, वार्ड नम्बर 5, संस्कृत स्कूल के पास, रामनगर झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (मलसीसर)।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

—

आदेश

दिनांक 29.12.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 11.12.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 536/2025 पर दिनांक 11. 12.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (मलसीसर) के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (मलसीसर) को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (मलसीसर) से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/ 5334—35 दिनांक 11.12. 2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (मलसीसर) ने पत्रांक आर.टी.आई. अपील/2025/934 दिनांक 22.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आर.टी.आई. आवदेन प्रेषित किए जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई./2025/893 दिनांक 10.12.2025 के द्वारा इस कार्यालय का विनिश्चत प्रेषित कर दिया गया, जिसके अनुसार उक्त आवेदक द्वारा बिन्दु संख्या 1 एवं 4 में चाही गई सूचनाएं न्यायिक कार्यो से सम्बन्धित होने के कारण आवेदक को प्रकरणवार विशिष्टियों सहित नकल आवेदन पर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया तथा आवेदन पत्र के. बिन्दु संख्या 2 एवं 3 में चाही गई सूचनाएं ग्राम पंचायत लादुसर से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थी के आवेदन पत्र की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लादुसर को अंतरित कर दी गई। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु हाजिर आये। अपीलार्थी ने अपने आवेदन के बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना मिलना जाहिर किया तथा बिन्दु संख्या 1 व 4 की सूचना नहीं मिलना बताया तथा वांछित बिन्दुओं की सूचना दिलवाये जाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (मलसीसर) के पत्रांक आर.टी.आई. अपील/2025/934 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा आर.टी.आई. आवदेन प्रेषित किए जाने पर उनके कार्यालय के पत्रांक आर.टी. आई./2025/893 दिनांक 10.12.2025 के द्वारा बिन्दु संख्या 1 एवं 4 में चाही गई सूचनाएं न्यायिक कार्यो से सम्बन्धित होने के कारण आवेदक को प्रकरणवार विशिष्टियों सहित नकल आवेदन पर उनके कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है। चुंकि प्रार्थी को बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना प्राप्त हो चुकी है तथा उनके द्वारा बिन्दु संख्या 1 व 4 की सूचना नहीं मिलना जाहिर किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार जाना उचित प्रतित होता है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर को निर्देशित किया जाता है अपीलार्थी द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना तैयार कर निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से 15 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं